[2019] 11 एससीसीआर। 1023

एसईपी सतगुर सिंह

बनाम

भारत संघ व अन्य।

(सिविल अपील नं। 2018 का 1857) 02 सितंबर, 2019

[एल। नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जेजे।]

सेवा कानूनः

सेवा से छुट्टी-सात लाल स्याही प्रविष्टियों के कारण-सेना के निर्देश दिनांक 28.12.1988 के पैरा 5 (ए) के तहत आवश्यक जांच के बिना पारित होने के बाद से डिस्चार्ज आदेश स्थायी नहीं था-हेल्डः जांच की प्रकृति के तहत चिंतन किया गया पैरा 5 (ए) एक प्रारंभिक जांच है और एक नियमित जांच नहीं है-प्रारंभिक जांच का परीक्षण संतुष्ट है यदि कर्मियों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है और एक आदेश पारित किया जाता है-इस प्रकार, पैरा 5 (ए) के अनुसार पर्याप्त अवसर है कर्मियों को अपना बचाव करने के लिए दिया गया-डिस्चार्ज के आदेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अवधारित किया कि-

28 दिसंबर, 1988 को सेना के निर्देश/परिपत्र के पैरा 5 (ए) एक जांच से संबंधित है जो सेना के जवानों के खिलाफ आरोपों की जांच का न्यायालय नहीं है। इस तरह की जांच विभागीय जांच की तरह नहीं है, लेकिन दायर जवाब को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया की झलक है। जांच की अदालत विशेष रूप से बाहर रखी गई है। किस तरह की जांच की आवश्यकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। जांच टी के पैरा 5 (ए) के रूप में एक नियमित जांच नहीं है उन्होंने कहा कि सेना के निर्देश के बताते हैं कि यह एक प्रारंभिक जांच है। यदि किसी कार्मिक का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है और विचार किया जाता है, तो प्रारंभिक जांच का परीक्षण संतुष्ट हो जाएगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने अस्पष्ट पारिवारिक परिस्थिति को छोड़कर दायर जवाब में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस प्रकार, उन्हें अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसलिए,

क

28 दिसंबर, 1988 को दिए गए सेना के निर्देशों के पैरा 5 (ए) में निर्धारित मानदण्ड संतुष्ट होते हैं। [पैरा 7] [1028-ई-जी]

ख

कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अपीलकर्ता ने सात मौकों पर ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्हें प्रत्येक अवसर पर 2 दिन से 28 दिन तक के कठोर कारावास की सजा दी गई है।

ग

सशस्त्र बलों का एक सदस्य अपने कर्तव्य को हल्के में नहीं ले सकता है और अपनी इच्छा से कर्तव्य से दूर नहीं रह सकता है। चूंकि कर्तव्य की अनुपस्थिति कई अलग-अलग अवसरों पर थी जिसके लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई थी, इसलिए, निर्वहन के

घ

आदेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 8] [1028-एच; 1029-ए-बी]

वीरेंद्र कुमार दुबे बनाम सेना प्रमुख और अन्य।

ङ

(2016) 2 एससीसी 627: [2015] 10 एससीआर 1013 - से भिन्नता की गई।

केस लॉ संदर्भ [2015] 10 एससीआर

च

1013 प्रतिष्ठित पैरा 5

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील नं 1857 सन 2018

छ

2018 की।

निर्णय और आदेश से दिनांक 30.04.2014 को टीए नं286/2010 (2009 के

ज

सीडब्ल्यूपी 13268 से उत्पन्न)/सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 21.02.2017, चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ टी ए नं. 286/2010 (सी डब्ल्यू पी नं. 13268/2009 से उत्पन्न) में एम.ए.नं. 3876/2016 एवं 3877/2016

आफताब अली खान, अधिवक्ता । अपीलार्थी के लिए।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, एके शर्मा, विमला सिन्हा, वंशदीप डालमिया, सुचक्षु जैन, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय हेमंत गुप्ता, जे. के द्वारा दिया गया था

1। वर्तमान अपील में चुनौती 30 अप्रैल, 2014 को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़, में क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित एक आदेश है, जिसके तहत 'एएफटी' पर अपीलकर्ता का निर्वहन किया जाता है।

क

उनके 11 साल 9 महीने और 15 दिनों की सेवा के दौरान सात लाल स्याही प्रविष्टियों का खाता अनुचित नहीं पाया गया।

ख

2। अपीलकर्ता को 22 सितंबर, 2004 को कारण बताओ नोटिस के साथ सेवा दी गई थी कि अपीलकर्ता ने खुद को अवांछनीय साबित किया है और सेवा में प्रतिधारण को सात दंडों के संबंध में उपयुक्त नहीं माना जाता हैः वर्ष 1995 में दो; वर्ष 1998 में एक; वर्ष 2000 में दो; और वर्ष 2004 में दो। सात बार उसकी सजा का विवरण निम्नानुसार हैः

ग

घ

(ए) सेना अधिनियम की धारा 39 (ए) के अंतर्गत दिनांक 02.09.1995 को 21 दिन आर.आई.

ङ

(बी) सेना अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत दिनांक 07.09.1995 को 28 दिन की आर.आई.

च

(ग) सेना अधिनियम की धारा 39 (ए) के अंतर्गत दिनांक 04.08.1998 को 21 दिन आर.आई.

छ

(डी) सेना अधिनियम की धारा 39 (बी) के अंतर्गत दिनांक 02.11.2000 को आर.आई.

ज

(ई) सेना अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत दिनांक 15.11.2000 को 2 दिन आर.आई.

(एफ) सेना अधिनियम की धारा 39 (बी)के अंतर्गत दिनांक 12.02.2004 को 5 दिन आर.आई.

(छ) सेना अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत दिनांक 25.05.2004 को 21 दिन आर.आई.

3. इस तरह के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अपीलकर्ता का जवाब था कि उसके पास अपने बच्चों के कल्याण की देखभाल करने के लिए कोई अन्य स्रोत नहीं था और उसने अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण यह गलती की हैं तथा अब दोबारा कोई गलती नहीं करेगा।

4. दायर जवाब पर विचार करने के बाद, 26 नवंबर, 2004 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग 24 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा

डिस्चार्ज के कारणों को दर्ज किया गया है, जिसमें यह दर्ज किया गया है कि अपीलकर्ता आदतन अपराधी है, इसलिए, उसे सेवा से छुट्टी दे दी जाती है।

5. अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता ने वीरेंद्र कुमार दुबे बनाम सेना प्रमुख व अन्य के इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। "जिसमें, यह माना गया है कि लाल स्याही प्रविष्टियां किसी भी व्यक्ति को छुट्टी देने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर को सेना के निर्देशों दिनांकित 28 दिसंबर, 1988 के पैरा 5 (ए) के तहत आवश्यक जांच करने की आवश्यकता है। प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

2 (2016) 2 एससीसी 627

.

क

"अतिरिक्त महानिदेशक व्यक्तिगत सेवा (पीएस-2) सेना मुख्यालय, कमरा नं। सेना

ख

भवन की विंग, डीएचक्यू पीओ नई दिल्ली-110011 ए/21210/159/पीएस-4 (सी) 28 दिसंबर 1988 मुख्यालय, दक्षिणी कमान, पुणे पूर्वी कमान, कलकत्ता पश्चिमी कमान, चंडीमंडल सेंट्रल कमांड, लखनऊ उत्तरी कमान, सी/ओ 56 अवांछनीय

ग

जेसीओ/डब्ल्यूओ/ओआर की बर्खास्तगी/निर्वहन के लिए एपीओ प्रक्रियाः

घ

(ए) प्रारंभिक जांच- से पहले छुट्टी की सिफारिश या

ङ

किसी व्यक्ति के निर्वाहन बर्खास्तगी की सिफारिश से पूर्व जांच प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि -

च

(i) एक निष्पक्ष जांच (जरूरी नहीं कि जांच की अदालत)

छ

उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में की गई हो और उसको अपने बचाव या स्पष्टीकरण देने और अपने बचाव में सबूत जोड़ने का पर्याप्त अवसर था।

ज

(ख) आरोपों की पुष्टि की गई हो और यह कि व्यक्ति की सेवा की समाप्ति का चरम कदम प्रस्तुत मामले के गुणदोष के आधार पर आवश्यक हो”

6. हमें इस तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती है कि जहां कमाण्डिंग आफिसर द्वारा कोई नियमित जांच नहीं की गई हो, वहाँ पर सजा स्थायी नहीं रखी जा सकती , जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वीरेंद्र कुमार दुबे के मामले में अवधारित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा उक्त में यह अवधारित किया गया कि "सरकार द्वारा जैसा कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया न केवल कारण बताओ नोटिस जो कि नियमतः आवश्यक है, को अनिवार्य बताया है अपितु उसके खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष जाँच जिसमें उसके समर्थन में सबूत जोड़ने के

पर्याप्त अवसर दिए गए हों, को अनिवार्य कहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चार लाल स्याही प्रविष्टियों के आधार पर सेवा से निर्वहन के खिलाफ कुछ इनबिल्ट सुरक्षा उपाय भी निर्धारित किए गए हैं।

पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह स्पष्ट घोषणा कि मात्र

किसी व्यक्ति की चार लाल स्याही प्रविष्टियों के आधार पर

निर्वहन अनिवार्य नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि चार लाल स्याही प्रविष्टियाँ किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा नहीं हैं, जिन्हें यदि पार किया जाता है तो वे स्वयं ही

क

ख

ग

घ

ङ

च

छ

ज

बल में प्रतिधारण के लिए अवांछनीय या अयोग्य संबंधित व्यक्ति को बनाता है। चार लाल स्याही प्रविष्टियों का पुरस्कार केवल संबंधित व्यक्ति को एक ग्रे क्षेत्र में धकेलता है जहां उसे निर्वहन के लिए माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह इस तरह के निर्वहन के लिए अर्हता प्राप्त करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे जरूरी रूप से उस भाग्य को भुगतना होगा। विचार के लिए अर्हता प्राप्त करना एक बात है और डिस्चार्ज के लिए फिट होना पूरी तरह से अलग बात है। उस अर्थ में चार लाल स्याही प्रविष्टियाँ व्यक्ति को निर्वहन के करीब ले जाती हैं
लेकिन उसे धक्का नहीं देती। यह स्वयंसिद्ध है कि कमांडिंग ऑफिसर ऐसी प्रविष्टियों के बाद भी, उस अपराध की प्रकृति पर विचार करने के लिए बाध्य है जिसके लिए ऐसी प्रविष्टियों को दिया गया है और सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में अन्य पहलुओं को प्रासंगिक बनाया गया है।

11.) उपरोक्त के सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि सक्षम अधिकारी ने अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए सक्षम किया है कि किसी व्यक्ति के निर्वहन से पहले, न केवल कारण बताओ नोटिस होना चाहिए, बल्कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए जिसमें उसे अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए और यह कि आरोपों की पुष्टि पर ही निर्वहन के लिए पुष्टि की जानी चाहिए।

12. पैरा 5 (एफ) (2) इस बात के महत्व को रेखांकित करता है कि व्यक्ति की सेवा की समाप्ति एक चरम कदम है जिसे केवल तभी लिया जाना चाहिए जब मामले के तथ्यों की मांग हो। अधिकारियों को दिए गए प्रक्रियात्मक जनादेश से जो स्पष्ट होता है, वह यह सुनिश्चित करना है कि निर्वहन के आदेश को यांत्रिक रूप से नहीं दिया जाए और किसी व्यक्ति के निर्वहन के लिए अग्रणी प्रक्रिया को मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता और विशेष रूप से संबंधित को उचित अवसर की आवश्यकता से मानवीयकृत किया जाए विशिष्टतः जब वह अपनी पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाला है। समान रूप से महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि डिस्चार्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सर्कुलर द्वारा प्रासंगिक किए गए कुछ कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि डिस्चार्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी में निहित शक्तियों के अन्याय,

अनुचित उपचार या मनमाने रुप से प्रयोग को रोका जा सके। उदाहरण के लिए नोट 2 से नियम 5 में सक्षम प्राधिकारी को व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई लंबी सेवा, पर नियुक्त तथा कार्यकाल के दौरान विषम परिस्थितियों में रहन-सहन को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है।

क

ख

ग

घ

ङ

च

छ

ज

यह केवल तब होता है जब सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त कारकों के ध्यान में रखने के बाद निर्वहन को पूरी तरह से आवश्यक मानता है तो उस व्यक्ति वैध रूप से दिया जा सकता है।

18. तब मामले को हाथ में लेते हुए, हम पाते हैं कि ऊपर निकाली गई प्रक्रिया के पैरा 5 (ए) के तहत आवश्यक अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी स्तर पर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि सक्षम प्राधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई लंबी सेवा, कठिन रहने की स्थिति और कठिन स्टेशनों पर ध्यान दिया था, जिस पर उसने सेवा की थी। यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि लाल स्याही प्रविष्टियों के देने के लिए संबंधित व्यक्ति का आचरण इतना गलत था कि सक्षम प्राधिकारी के पास बल में अनुशासनहीनता रोकने हेतु उसके निर्वहन के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। "(आपूर्ति की गई) 7। हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिली है। 28 दिसंबर, 1988 के परिपत्र के पैरा 5 (ए) जांच से संबंधित है जो एक सेना के जवानों के खिलाफ आरोपों की जांच की अदालत नहीं है। दायर जवाब को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जांच विभागीय जांच की तरह नहीं है, बल्कि निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है प्रक्रिया। जांच की अदालत विशेष रूप से बाहर रखी गई है। किस तरह की जांच की आवश्यकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। जांच एक नियमित जांच नहीं है क्योंकि सेना के निर्देशों के पैरा 5 (ए) से पता चलता है कि यह एक प्रारंभिक जांच है। यदि किसी कार्मिक का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है और विचार किया जाता है, तो प्रारंभिक जांच का परीक्षण संतुष्ट हो जाएगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अस्पष्ट पारिवारिक परिस्थिति को छोड़कर दायर जवाब में स्पष्टीकरण। इस प्रकार, उन्हें अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसलिए, 28 दिसंबर, 1988 को दिए गए सेना के निर्देशों के पैरा 5 (ए) में निर्धारित पैरामीटर संतुष्ट हैं। कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अपीलकर्ता ने सात मौकों पर ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्हें प्रत्येक अवसर पर 2 दिन से 28 दिन तक की कठोर कारावास की सजा दी गई है

क

ख

ग

घ

ङ

च

छ

ज

सशस्त्र बलों का एक सदस्य अपने कर्तव्य को हल्के में नहीं ले सकता है और अपनी इच्छा से कर्तव्य से दूर नहीं रह सकता है। चूंकि कर्तव्य की अनुपस्थिति कई अलग-अलग अवसरों पर थी जिसके लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई थी, इसलिए, निर्वहन के आदेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। कमांडिंग ऑफिसर ने दर्ज किया है कि अपीलकर्ता एक आदतन अपराधी है। इस तरह के तथ्य का समर्थन सात अवसरों पर ड्यूटी से अपीलकर्ता की अनुपस्थिति से किया जाता है। इसके मद्देनजर अपीलार्थी के निर्वहन का आदेश , हमें कोई त्रुटि नहीं मिलती है
। अपील खारिज की जाती है।

श्रीमती दीक्षा श्री,

जे.ओ.कोड - यू.पी. 2220